(1)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल–शेखपुरा में आई0बी0 के कार्यालय/आवासीय परिसर के निर्माण हेतु मौजा–गिरिहिण्डा, थाना सं0–191, खाता सं0–109, खेसरा सं0–07, रकवा–27.48 डी0 गैरमजरूआ आम भूमि सशुल्क आधार पर कुल राशि–6,24,02,487/– (छः करोड़ चौबीस लाख दो हजार चार सौ सत्तासी) रूपये के भुगतान पर एस0आई0बी0, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

(2)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज सदर अंचल में आई0बी0 कार्यालय/आवासीय परिसर के निर्माण हेतु मौजा– तिरबिरवा, थाना सं0–40, खाता सं0–20, खेसरा सं0–190 का अंश, कुल प्रस्तावित रकवा–30 डी0 गैरमजरूआ मालिक भूमि सशुल्क आधार पर कुल राशि–67,50,000/– (सड़सठ लाख पचास हजार) रूपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

3

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल–खोदावंदपुर के मौजा–फफौत, थाना सं0–82, खाता सं0–395, खेसरा सं0–1154 कुल प्रस्तावित रकवा–21 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि पर उप कारा के निर्माण हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

4

बिहार सरकार
राजस्व एूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) अधिनियम, 2011 के सुसंगत प्रावधानों के तहत राज्य में अवस्थित रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू–मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है। उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 प्रवृत्त है।

उक्त नियमावली के तहत भूमि/भू–खण्डों के सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती के क्रम में यह महसूस किया गया कि सर्वेक्षण में शत–प्रतिशत शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के कतिपय प्रावधानों में यथा संशोधन/अंतःस्थापन/निरसन आवश्यक है। साथ ही, नये शब्दों को परिभाषित किया जाना भी आवश्यक है, जिससे भू–सर्वेक्षण संबंधी अन्य कार्यो के साथ ही, नगर क्षेत्र में विशेष भू–सर्वेक्षण कार्य में सुविधा तथा शीघ्रता लाया जा सकेगा।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(जय सिंह),
सचिव।

प्रेस नोट

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के माननीय न्यायाधीशगण के उपयोग हेतु 10 नये वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। वाहन क्रय किये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में पर्याप्त निधि उपबंधित नहीं है।

अतएव बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से विपत्र कोड–28–2014001020001 अन्तर्गत मोटरगाड़ी(51.01) विषयशीर्ष में कुल 3,70,00,000/–(तीन करोड़ सत्तर लाख) रूपये के अग्रिम की स्वीकृति के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, पटना के माननीय न्यायाधीशगण के उपयोग हेतु नये E.V./Hybrid वाहनों के क्रय की कार्रवाई की जा सकेगी।

20.02.26

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

(6)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2343 दिनांक 19.03.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–22308 दिनांक 13.03.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में पूर्णियाँ, भागलपुर एवं गया न्यायमंडल में NDPS Act. के अंतर्गत दायर वादों के त्वरित विचारण हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के एक–एक अर्थात् कुल तीन अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) के गठन के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक–एक अर्थात् कुल 03 (तीन) पदों को सृजित करने की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajendra 22.5.2026

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

G:\SEC-07\PAD SRIJAN\PRESS NOTE.docx

(7)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1135 दिनांक 10.02.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–8787 दिनांक 31.01.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत मधुबनी (सदर) न्यायमंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक अतिरिक्त न्यायालय एवं दरभंगा न्यायमंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक–एक अर्थात कुल 02 (दो) पदों को सृजित करने की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

22.5.2026

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–1569 दिनांक–10.12.2025 द्वारा "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग" बिहार के गठन के पश्चात विभाग में पूर्व से निर्गत "बिहार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग" के संकल्प–1185 एवं "बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो" के संकल्प–34 तथा 1167 में "श्रम संसाधन विभाग" के स्थान पर "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग", बिहार, पटना को प्रतिस्थापित किया गया है।

सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

(9)

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

।। प्रेस नोट।।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–1569, दिनांक 10.12.2025 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–45. के बाद एतद् नया क्रमांक–''46. "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग'' जोड़कर नया "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग'' का गठन किया गया है।

नवसृजित विभाग के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए विशेष नियोजनालय के क्रियान्वयन, बाजार माँग के अनुरूप रोजगार के अवसरों, विशेष प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए टूल किट एवं रोजगार प्रशिक्षण हेतु वित्त पोषण आदि कार्य के साथ–साथ आर्थिक रूप से अन्य कमजोर वर्गों के लिए बाजार माँग के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण तथा बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो से संबंधित कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु विशेष नियोजन निदेशालय का गठन करते हुए विशेष नियोजन निदेशालय के 06 नये प्रशाखाओं के लिए विभिन्न कोटि के कुल 57 (सत्तावन) नये पदों के सृजन से विशेष नियोजन निदेशालय को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित किया जायेगा।

13/5

(कौशल किशोर),
सरकार के सचिव,

10

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

।। प्रेस नोट।।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–1569, दिनांक 10.12.2025 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–45. के बाद एतद् नया क्रमांक–''46. "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग'' जोड़कर नया "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग'' का गठन किया गया है।

नवसृजित विभाग के अंतर्गत छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, नेहरू युवा केन्द्र, बिहार युवा आयोग इत्यादि के माध्यम से युवा प्रतिभा की पहचान, पोषण, युवा कल्याण से संबंधित सभी कार्य के साथ–साथ युवाओं को राष्ट्र निर्माण हेतु रचनात्मक गतिविधि में सम्मिलित करने का कार्य आवंटित है। छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय में पूर्व से स्वीकृत पद निदेशालय को आवंटित कार्य एवं दायित्वों के अनुरूप नहीं है।

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए 06 नये प्रशाखाओं के लिए पूर्व से स्वीकृत 07 (सात) पदों को प्रत्यार्पित करते हुये विभिन्न कोटि के कुल 55 (पचपन) पद सृजित किया जा रहा है, जिससे छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के आवंटित कार्यो को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित किया जायेगा।

13/5/25

(कौशल किशोर)
सरकार के सचिव,

(11)

बिहार सरकार

<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

<u>प्रेस नोट</u>

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत भूगर्भ शास्त्री संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु "लघु जल संसाधन विभाग भूगर्भ शास्त्री संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2026" की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. लघु जल संसाधन विभाग भूगर्भ शास्त्री संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद "भूगर्भ शास्त्री" होगा जो अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

3. इस संवर्ग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होगी । इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।

4. भूगर्भ शास्त्री के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति होगी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भूगर्भ शास्त्र (Geology) में स्नातक होगी। साथ ही केन्द्रीय/राज्य सरकार अथवा उसके नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम में 03 वर्षों का न्यूनतम कार्यानुभव आवश्यक होगा।

20/05

सचिव

लघु जल संसाधन विभाग,

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

12

प्रेस नोट

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–992 दिनांक 04.02.2019 द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रख–रखाव का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूर्व में संकल्प सं0–992 दिनांक–04.02.2019 द्वारा पंचायतों को राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व सौंपा गया था परन्तु मंत्रिपरिषद् द्वारा नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रख–रखाव के दायित्व से पंचायती राज संस्थाओं को मुक्त करते हुए उनके मरम्मती, संचालन एवं रख–रखाव का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय पारित किया गया है ।

लघु जल संसाधन विभाग के पास पूर्व की भांति ही नलकूप की सिंचाई का पटवन शुल्क के निर्धारण एवं उसकी वसूली का अधिकार होगा । वितरण प्रणाली की मरम्मती एवं निर्माण का कार्य आवश्यकतानुसार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा सकेगा ।

कार्यरत नलकूपों के विद्युत विपत्र का भुगतान कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अनुदानित दर पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के फलस्वरूप राजकीय नलकूपों के मरम्मती कार्य की प्रक्रिया सरल हो जायेगी । जिससे विभाग द्वारा अकार्यरत नलकूपों को क्रियाशील बनाने हेतु त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी । राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रख–रखाव का सम्पूर्ण कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने के फलस्वरूप लघु जल संसाधन विभाग को नलकूपों के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव मात्र का दायित्व होने से अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलताओं से भी मुक्ति मिल सकेगी । जिससे कृषकों को सिंचाई का अतिरिक्त साधन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

(बी0 कार्तिकेय धनजी)
सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

13

प्रेस–नोट

बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में जल संसाधन विभाग के मांग संख्या–49 में कुल रू०–102.98 करोड़ (एक सौ दो करोड़ अन्ठानबे लाख) मात्र की राशि उपलब्ध करायी गई है। उपलब्ध राशि का व्यय जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक सम्पोषित बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर किया जायेगा।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत क्षमता में वृद्धि कर प्रभावी सिंचाई प्रबंधन लागू करना, कुशल सिंचाई प्रणाली विकसित करना, आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में प्रभावी/कुशल प्रणाली से बाढ़ जोखिम को न्यून करना एवं जल उपयोग संघ (WUA) को मजबूती प्रदान करते हुए सिंचाई सेवा में बढ़ोत्तरी करना है।

वर्तमान में परियोजना अंतर्गत सिंचाई प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित चार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

- पश्चिमी कोसी सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण कि०मी० 0.00 से कि०मी० 18.29 (प्राक्कलित राशि–रू० 340.00 करोड़)।
- पश्चिमी कोसी सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण कि०मी० 18.29 से कि०मी० 26.21 (प्राक्कलित राशि–रू० 119.00 करोड़)।
- पश्चिमी कोसी सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण कि०मी० 26.21 से कि०मी० 36.18 (प्राक्कलित राशि–रू० 147.00 करोड़)।
- झंझारपुर शाखा नहर का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण कि०मी० 0.00 से कि०मी० 42.06 (प्राक्कलित राशि–रू० 218.00 करोड़)।

उपरोक्त सिंचाई योजनाओं से मधुबनी जिला के कुल 89,749 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र लाभान्वित होगा ।

बाढ़ प्रबंधन से संबंधित एक योजना, विस्तारित सिकरहट्टा मँझारी बाँध का सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के साथ स्परो का निर्माण तथा जीर्णोद्धार, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 258 करोड़ (दो सौ अंठावन करोड़) है, का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे मधुबनी एवं सुपौल जिला अन्तर्गत 21,300 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

14

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

बालूघाटों की बंदोबस्ती के पश्चात् संचालन हेतु बालूघाटों का खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति तथा CTO/CTE जैसे वैधानिक अनापत्तियाँ प्राप्त करने में वर्त्तमान में लगभग 300 दिनों का समय लगता है, जिससे राज्य सरकार को अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्ति में विलम्ब होता है। राज्यान्तर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालूघाटों की नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किये जाने से अनापत्तियों को प्राप्त किये जाने में विलम्ब नहीं होगी, जिससे बालूघाटों का संचालन शीघ्र प्रारंभ हो सकेगा एवं सरकार को ससमय राजस्व की प्राप्ति होगी।

18/05/2016

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग

(15)

प्रेस नोट

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा श्रम संसाधन विभाग (वर्तमान में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार) द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं आवेदकों के निबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 से ही प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र अधिष्ठापित व कार्यरत है। जिसका कार्यकाल दिनांक–31.03.2026 को समाप्त हो चूका है, फलतः उपांकित योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्णतः Online हैं। उक्त परिपेक्ष्य में उपांकित योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों का रख–रखाव एवं संचालन आवश्यक हैं । सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिले में अवस्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के संचालन एवं रख–रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 65.00 (पैसठ) करोड़ रू0 मात्र के अनुमानित व्यय (अनु0–I के अनुसार) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)
अपर मुख्य सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

16

प्रेस नोट

BSHP-IV (Bihar State Highway IV Project) के अन्तर्गत मधुबनी–राजनगर– बाबूबरही–खुटौना पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई– 38.872कि०मी) हेतु कुल ₹ 63272.00 लाख (छः सौ बत्तीस करोड़ बहत्तर लाख) रूपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

यह पथ परियोजना मधुबनी से प्रारंभ होकर हरिनगर, बेहलवार, परिहारपुर, राजनगर, भगवानपुर, भाटगामा, श्यामसीघाप, बाबूबहरी, सोनापट्टी, मोहनपुर, भूपति, खोजपुर, पथराही, डोनवारीहाट, खुटौना सिटी में समाप्त होती है एवं यह परियोजना ग्रामीणों को जिलास्तरीय सुलभ सम्पर्कता एवं क्षेत्र के विकास में अत्यधिक सहायक होगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(17)

प्रेस नोट

BSHP-IV (Bihar State Highway IV Project) के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–52 (सीतामढ़ी–पुपरी– बेनीपट्टी) पथ लम्बाई 51.261 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल ₹ 43437.00 लाख (चार सौ चौंतीस करोड़ सैंतीस लाख) रूपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

राज्य उच्च पथ संख्या–52 (सीतामढ़ी–पुपरी–बेनीपट्टी) सीतामढ़ी से शुरू होकर महत्वपूर्ण स्थान जैसे –बाजपट्टी एवं पुपरी के पास समाप्त होती है एवं यह परियोजना ग्रामीणों को जिलास्तरीय सुलभ सम्पर्कता एवं क्षेत्र के विकास में अत्यधिक सहायक होगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18

प्रेस नोट

BSHP-IV (Bihar State Highway IV Project) के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–97 (विशनपुर–अतरबेल (NH-57) जाले–घोघरचट्टी (SH-52) पथ परियोजना का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई–47.875 कि०मी) हेतु कुल ₹ 99003.50 लाख (नौ सौ नब्बे करोड़ तीन लाख पचास हजार) रूपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

यह पथ परियोजना SH-97 दरभंगा जिले के विशनपुर से प्रारंभ होकर घोड़ियाला, कोलहंता पटोरी, सरवारा, अतरबेल, रामपुर, सिंहवारा, कटासा, मड़ीकौली, भगवानपुर, घडवाल, भरवारा, रतनपुर, कछुआ, पकटोला, कटरा, जाले होते हुए घोघराचट्टी में समाप्त होती है । यह परियोजना दो पैकेज में विभाजित किया गया है। पैकेज–1 विशनपुर से अतरबेल (0.00 से 15.31 कि०मी०) एवं पैकेज–2 अतरबेल से घोघराचट्टी (15.34 से 47.90 कि०मी०) यह परियोजना ग्रामीणों को जिलास्तरीय सुलभ संपर्कता एवं क्षेत्र के विकास में अत्यधिक सहायक होगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

19

प्रेस नोट

BSHP-IV (Bihar State Highway IV Project) के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–92 (Ganpatganj- Parwaha) पथ परियोजना का निर्माण कार्य (लम्बाई–47.432 कि०मी) हेतु कुल ₹ 70395.00 लाख (सात सौ तीन करोड़ पन्चानबे लाख) रूपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

यह पथ परियोजना गणपतगंज से प्रारंभ होकर धरहरा, हरिपुर, हुसैनाबाद, हनुमाननगर, राघोपुर, सुखानहर, भवानीपुर, सूर्यापुर, नरैहिया, लालगंज, छातापुर, सोहता, गिरीधरपट्टी, सरदारटोला, तामगंज, घीवा होते हुए परहरवा में समाप्त होती है। यह परियोजना सुपौल एवं अररिया जिला से होकर गुजरती है तथा इस परियोजना के निर्माण से ग्रामीणों को जिलास्तरीय सुलभ संपर्कता एवं क्षेत्र के विकास में अत्यधिक सहायक होगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

20

प्रेस नोट

BSHP-IV (Bihar State Highway IV Project) के अन्तर्गत ब्रहमपुर–कोरनसराय–इटाढ़ी–सरंजा–इटाढ़ी–बक्सर तथा उजियारपुर–कुकराहा– जमुआंव–इंदौर–समदा पथ परियोजना का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई–80.728 कि०मी) हेतु कुल ₹ 98258.00 लाख (नौ सौ बिरासी करोड़ अन्ठावन लाख) रूपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

यह पथ परियोजना ब्रहम्पुर से प्रारंभ होकर रघुनाथपुर, राजपुर, एकरासी, पकड़ी, उजियारपुर, सुक्ररौलिया, सिद्धाबांध, सरंजा, जगदीशपुर, कतर, परैइना, जलिलपुर, इटाढ़ी, इंदौर होते हुए समदा में समाप्त होती है। यह परियोजना ग्रामीणों को जिलास्तरीय सुलभ संपर्कता एवं क्षेत्र के विकास में अत्यधिक सहायक होगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विभाग का नाम–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 में मुख्य रूप से तीन संशोधन किये गये है :–

1 केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के तर्ज पर बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक का पदनाम क्रमशः कनीय सचिवालय सहायक एवं वरीय सचिवालय सहायक के रूप में नामित किया जाता है।

2 कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) को 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत कनीय सचिवालय सहायक के पदों पर प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया जाता है।

3 कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति के पश्चात् परिवीक्षा अवधि 02 (दो) वर्ष के स्थान पर 01 (एक) वर्ष किया जाता है।

हस्ताक्षर– 21-5-26

नाम– **डॉ० बी० राजेन्दर**

पदनाम– सरकार के अपर मुख्य सचिव

22

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस–नोट

श्री अनिल कुमार, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, पटना (सेवानिवृत्ति की तिथि–31.05.2026) को सेवानिवृत्ति के पश्चात संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(अनिल चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

23

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 अधिसूचित की जा रही है, जिससे राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सक शिक्षकों की कमी दूर होगी एवं पठन–पाठन के स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।

26/05/2026
(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव।

Estt/D/M/ Senlekh

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस नोट

वर्तमान में राज्य के नैदानिक केन्द्रों को नियंत्रित करने के लिए बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 प्रभावी है। यह राज्य के 40 शय्या से ऊपर के नैदानिक स्थापनों पर लागू है। 40 शय्या या इसके नीचे की क्षमता वाले लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों या स्वतंत्र ओ०पी०डी० क्लीनिक/डिस्पेन्सरी/दंत चिकित्सा क्लीनिक/जाँच केन्द्रों के लिए वर्तमान में कोई नियमावली या विनियमावली नहीं है।

2. 40 शय्या या इसके नीचे की क्षमता वाले स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के संदर्भ में कोई नियमावली या विनियमावली नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कई वाद दायर किये गये हैं। ऐसे ही एक मामले में, Cr. Misc No.-43257/2025 डॉ० दिलीप कुमार उर्फ हरि शंकर पंडित बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय,पटना के दिनांक–25.07.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में 01–40 शय्या तक के अस्पतालों को नियंत्रित करने के लिए दिशा–निर्देश निर्गत करने हेतु निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त है।

3. उपरोक्त गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 के अन्तर्गत बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियमावली 2026 गठित किया जाना है।

4. प्रस्तावित विनियमावली में लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों या स्वतंत्र ओ०पी०डी० क्लीनिक/डिस्पेन्सरी/दंत चिकित्सा क्लीनिक/जाँच केन्द्रों के निबंधन/अपील के लिए राज्य परिषद एवं जिला स्तर पर जिला पंजीकरण प्राधिकार के रूप में दो प्राधिकार गठित करने का प्रावधान है, जिसे

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा। राज्य स्तर पर गठित परिषद पांच सदस्यीय होगा। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव/अपर सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर गठित जिला पंजीकरण प्राधिकार त्रि–सदस्यीय होगा। संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिला पंजीकरण प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष होंगे।

5. विनियमावली में स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों आदि के पंजीकरण एवं इसके निरसन की प्रक्रिया,स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का रजिस्टर एवं इनका रख–रखाव एवं विनियमावली के उलंघन पर दण्ड के प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

6. वर्णित स्थिति में बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियमावली 2026 की स्वीकृत प्रदान की गई है।

525 (18)
25/05/2026

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

10/70

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

25

प्रेस नोट

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में क्षमता से कई गुणा अधिक रोगी चिकित्सा हेतु आते हैं। राज्य की जनसंख्या के अनुपात में राज्य में चिकित्सकों की भी कमी है। तदनुसार पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को फेजवार (तीन चरणों में) 5462 शय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित कर देश के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण किया जा रहा है। इस योजना का प्रथम फेज पूर्ण हो चुका है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के हड्डी रोग विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से स्पाईन सब–स्पेशियलिटी यूनिट स्थापित करने के लिए कुल–39 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में हड्डी रोग विभाग में ट्रॉमा मरीज की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्यतः रोड दुर्घटना से संबंधित मरीज स्पाईन की बीमारी से ग्रसित होते हैं। स्पाईन की बीमारी के इलाज हेतु चिकित्सक का स्पाईन रोग के इलाज में अतिकुशल एवं प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में स्वतंत्र स्पाईन सब–स्पेशियलिटी यूनिट की स्थापना होने से स्पाईन के मरीजों को निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेगी–

(i) मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी (एम0आई0एस0)
(ii) इन्डोस्कोपी स्पाईन सर्जरी (दूरबीन द्वारा)
(iii) स्पाईनल डिफॉरमिटी कॉरेक्शन (स्कॉलियोसिस)
(iv) कूबड़ापन रोग का इलाज
(v) ट्यूबरकुलोसिस स्पाईन सर्जरी (टी0बी0)

26/05/2026
(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव

547(1)
26-5-26

संoसंo–14 / विविध–36 / 2016(II)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

बिहार विधान मंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित / अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित / राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों / कर्मियों एवं उनके आश्रित / सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी (पति–पत्नी) तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी, जिससे चिकित्सा कराना आसान एवं सुविधाजनक हो जायेगा।

(शंभु शरण)
अपर सचिव।

E:\Section-14\Vikash\Sanlekh\Cashless\Karyanwan & Press Note.docx 22-08-2025

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

लोकहित की विभिन्न केन्द्रीय/राजकीय परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए रैयती भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होता है।

भू–अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने एवं लोकहित की परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने हेतु हितबद्ध रैयतों से आपसी बातचीत/समन्वय/सहमति के आधार निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान पर करते हुए भूमि निबंधित दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के आलोक में आपसी बातचीत/ समन्वय/ सहमति के आधार पर भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से **"बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026"** का गठन किया गया है।

बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 के तहत भूमि के कुल मूल्य का निर्धारण क्रय की जाने वाली भूमि की दर शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर (MVR), जो भी अधिक हो, के दो गुणे और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर (MVR) जो भी अधिक हो, के चार गुणे के समतुल्य होगी। जिस पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिफल प्रोत्साहन की राशि के रूप में देय होगा। क्रय की जाने वाली भूमि स्टाम्प/पंजीयन शुल्क से मुक्त होगी।

(जय सिंह),
सचिव।